अपीलीय अधिकरण कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस.

(1) प्रकरण संख्या 24/2023 (वरिष्ठ नागरिक अपील)

1. राजेश शर्मा पुत्र स्व. दीनदयाल शर्मा, जाति ब्राह्मण
2. श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री राजेश शर्मा, जाति ब्राह्मण
3. मोनिका शर्मा सुपुत्री श्री राजेश शर्मा, जाति ब्राह्मण

निवासी मकान नम्बर 38, माथुर वैश्य नगर, सीताबाडी, टोंक रोड, जयपुर।

अपीलार्थीगण

बनाम

श्रीमती गीता देवी धर्मपत्नी स्व. श्री दीनदयाल शर्मा, जाति ब्राह्मण, निवासी मकान नम्बर 38, माथुर वैश्य नगर, सीताबाडी, टोंक रोड, जयपुर हाल निवासी प्लाट नम्बर 19, मिथिला विहार–ए, महारानी गार्डन के पीछे, रजत पथ, मानसरोवर, जयपुर।

रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा–16 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 विरूद्ध निर्णय दिनांक 05.09.2018 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय प्रकरण संख्या 18/2016 ब–उनवानी गीता देवी बनाम राजेश व अन्य

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

(2) प्रकरण संख्या 25/2023 (वरिष्ठ नागरिक अपील)

1. राजेश शर्मा पुत्र स्व. दीनदयाल शर्मा, जाति ब्राह्मण
2. श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री राजेश शर्मा, जाति ब्राह्मण
3. मोनिका शर्मा सुपुत्री श्री राजेश शर्मा, जाति ब्राह्मण

निवासी मकान नम्बर 38, माथुर वैश्य नगर, सीताबाडी, टोंक रोड, जयपुर।

अपीलार्थीगण

बनाम

श्रीमती गीता देवी धर्मपत्नी स्व. श्री दीनदयाल शर्मा, जाति ब्राह्मण, निवासी मकान नम्बर 38, माथुर वैश्य नगर, सीताबाडी, टोंक रोड, जयपुर हाल निवासी प्लाट नम्बर 19, मिथिला विहार–ए, महारानी गार्डन के पीछे, रजत पथ, मानसरोवर, जयपुर।

रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा–16 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 विरूद्ध निर्णय दिनांक 13.07.2017 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय प्रकरण संख्या 18/2016 ब–उनवानी गीता देवी बनाम राजेश व अन्य

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

उपस्थित :–

1. अपीलार्थीगण मय प्रतिनिधि उपस्थित है।
2. प्रत्यर्थी मय प्रतिनिधि उपस्थित है।

निर्णय दिनांक .15.02.2024

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने यह अपील माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय प्रकरण संख्या 18/2016 ब–उनवानी गीता देवी बनाम राजेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 13.07.2017 एवं 05.09.2018 से व्यथित होकर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 09.05.2023 की पालना में अपीलार्थीगण द्वारा पृथक पृथक अपील पेश की गई है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर पृथक पृथक दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किया गया। तहत रिकार्ड तलब किया गया है। रेस्पोडेन्ट स्वयं मय प्रतिनिध के उपस्थित है। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। उभय पक्ष ने दोनों प्रकरणो में पक्षकार एवं बिन्दू एक समान होने से संयुक्त बहस करना चाहा ।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तोपखाना देश गृह निर्माण सहकारी समिति ने प्रभुनारायण शर्मा पुत्र भूरा शर्मा को भू–खण्ड संख्या 38, माथुर वैश्य नगर, सीताबाडी, टोंक रोड जयपुर क्षेत्रफल 600 वर्गगज आंवटित किया गया था। जिस पर बिजली कनेक्शन अभी भी प्रभुनारायण शर्मा के नाम से जारी है। तोपखाना देश गृह निर्माण सहकारी समिति ने प्लाट धारको की लिस्ट जयपुर विकास प्राधिकरण में जमा करवाई जिसमें प्रभुनारायण शर्मा का उक्त भू–खण्ड 600 वर्गगज दर्शाया है। अपीलार्थी संख्या 1 प्रभुनारायण शर्मा का पौत्र है और अपीलार्थी संख्या 1 का नाम स्व॰ प्रभुनारायण शर्मा जी के परिवार राशन कार्ड में उल्लेखित है। प्रभुनारायण शर्मा जी की दिनांक 23.09.1984 को मृत्यु हो गई। प्रभुनारायण शर्मा की मृत्यु के पश्चात उनके दो पुत्र दीनदयाल शर्मा एवं तेजकरण शर्मा एवं तीन पुत्रिया शारदा देवी, कमला देवी एवं रामा देवी सम्पति की उत्तराधिकारी है। श्री दीनदयाल शर्मा की दिनांक 09.05.1994 को मृत्यु हो गई। श्री प्रभुनारायण शर्मा की मृत्यु के पश्चात उनकी उत्तराधिकारी तीनो पुत्रियों द्वारा अपना हिस्सा भू–खण्ड 38, माथुर वैश्य नगर से त्याग दिया एवं त्याग विलेख के माध्यम से अपना हिस्सा गीता देवी अप्रार्थी एवं श्री तेजकरण के पक्ष में दिनांक 07.03.2002 से अन्तरित कर दिया। अपीलार्थी संख्या 1 अपनी माताजी पर पूरा भरोसा करता था और उन्ही के साथ रहना चाहता था, इसलिए अपना हिस्सा माताजी के नाम जरिये हकत्याग पत्र दिनांक 04.06.2007 को उप–पंजीयक प्रथम के सामने निष्पादित कर दिया। इस प्रकार विवादित सम्पत्ति रेस्पोडेन्ट की स्व अर्जित नहीं हो कर पैतृक सम्पत्ति है। जिससे अपीलार्थीगण को बेदखल किये जाने का कोई अधिकार नहीं है । इसके बावजूद अधीनस्थ अधिकरण ने इस कोई गौर नहीं कर रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत गलत तथ्यों को स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया सरसरी तौर पर खारिज किये जाने योग्य है। क्योंकि अपीलार्थी संख्या 1 ने कभी भी अपनी माता जी के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया एवं अपीलार्थी संख्या 1 ने कभी भी शिकायत में उल्लेखित कार्य को नहीं किया और

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

न ही कभी ऐसा करने का इरादा किया है। रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष दायर शिकायत में महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपा रही है। उक्त भू–खण्ड का विद्युत कनेक्शन अपीलार्थी संख्या 1 के दादा जी प्रभुनारायण शर्मा के नाम पर है, जो साबित करता है कि उक्त भू–खण्ड केवल रेस्पोडेन्ट की पैतृक सम्पत्ति नहीं है। अधीनस्थ अधिकरण ने अपीलार्थी के वास्तविक तथ्यों को रिकार्ड पर नहीं लिया और रेस्पोडेन्ट के हक में एक तरफा निर्णय दिनांक 13.07.2017 एवं 05.09.2018 पारित दिया। अपीलार्थी संख्या 1 को ना तो अधीनस्थ अधिकरण का कोई नोटिस मिला ना ही अधीनस्थ अधिकरण ने अपीलार्थी संख्या 1 को अपना नोटिस प्राप्त करने के संबंध में कोई नोटिस दिया। अपीलार्थी संख्या 1 के खिलाफ इस तरह की उचित कार्यवाही करने का निर्णय दिया गया लेकिन ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गई। एक ही दिन में सारे साक्ष्य ले लिये गये और ऐसे में अवैध निर्णय पारित किया गया। दिनांक 13.07.2017 को अधीनस्थ अधिकरण द्वारा पारित निर्णय अपीलार्थी संख्या 1 के संज्ञान में दिनांक 15.09.2017 को आया जब रेस्पोडेन्ट अपीलार्थी संख्या 1 के पास अपनी बेटी और दामाद के साथ आये और अपीलार्थी ओर उसके परिवार के सदस्यों को धर व दुकान छोड़ने की धमकी दी, ऐसा कहकर कि अधिकरण के निर्णय दिया है। इसके पश्चात अपीलार्थी संख्या 1 उपखण्ड अधिकारी के पास गये और अधीनस्थ अधिकरण द्वारा पारित निर्णय की प्रति ली। अपीलार्थी ने अपने अधिवक्ता से अपने परिवार के साथ मुलाकात किया और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ के समक्ष रिट याचिका दायर की। जिस पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 09.05.2023 को आदेश पारित करते हुये उक्त प्रकरण में अपीलीय अधिकरण को अपील सुनवाई का अधिकार होना मानते हुये माननीय अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने के लिये 15 दिवस का समय दिया। रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलार्थी संख्या 3 को अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष पक्षकार बनाया गया था लेकिन अपीलार्थी संख्या 3 को अधीनस्थ अधिकरण ने कभी कोई नोटिस नहीं दिया था। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा पारित निर्णय से अपीलार्थी संख्या 1 ओर 3 को परेशान किया गया था और इसलिए उन्हे अधीनस्थ अधिकरण के निर्णय के खिलाफ अपील दायर करने के लिये मजबूर होना पडा। अपीलार्थी संख्या 1 ने अपनी बेटी की शादी के लिये कर्जा लिया था और अपीलार्थी संख्या 1 पर उसके तीनो बच्चो और पत्नी की जिम्मेदारी थी। यह सब पूरी तरह अपीलार्थी संख्या 1 की आय पर निर्भर है। अपीलार्थी संख्या 1 की आर्थिक जिम्मेदारी केवल रेस्पोडेन्ट बल्कि उसके बच्चों ओर पत्नी की प्रति भी है। अधीनस्थ न्यायालय ने महत्वपूर्ण तथ्यों को बिना गौर किये अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया गया। कथनों के समर्थन में दस्तावेज मय सूची के अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.07.2017 एवं 05.09.2018 अपास्त किया जाने के आदेश फरमावें।

5. रेस्पोडेन्ट के प्रतिनिधि ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये कथन किया कि रेस्पोडेन्ट एक वरिष्ठ नागरिक है। रेस्पोडेन्ट के पति का देहान्त करीब 25 वर्ष पूर्व हो चुका है। रेस्पोडेन्ट के पति स्व. श्री दीनदयाल शर्मा की मृत्यु के उपरान्त अपीलार्थी संख्या एक को उनके स्थान पर खनिज विभाग राजस्थान सरकार जयपुर में अनुकम्पात्मक नियुक्ति मिली है उसके बावजूद भी रेस्पोडेन्ट की देखभाल नहीं करता है न ही रेस्पोडेन्ट के प्रति अपनी भरण पोषण की जिम्मेदारी का निर्वहन ही करता है। विगत काफी समय से अपीलार्थीगण का व्यवहार रेस्पोडेन्ट के प्रति अमानवीय एवं क्रूरतापूर्ण रहा है। रेस्पोडेन्ट को हर समय परेशान करते है तथा मारपीट करते है रेस्पोडेन्ट पर

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

इस बात का नाजायज दबाव डालते है कि रेस्पोडेन्ट अपनी समस्त अचल सपत्तियां उनके नाम कर दे। जब रेस्पोडेन्ट ने ऐसा करने से इन्कार किया तो अपीलार्थीण ने रेस्पोडेन्ट को कमरे में बन्द कर उसको साथ प्रताड़ित किया मजबूर होकर अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं वरिष्ठ नागरिको के जीवन और सम्पत्ति के संरक्षण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया । विवादित मकान व दुकान का जेडीए से रेस्पोडेन्ट के नाम पट्टा जारी है रेस्पोडेन्ट उक्त मकान व दुकान की एक मात्र स्वामी है। अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किये जाने के बाद दौराने सुनवाई दिनांक 10.11.2016 को अपीलार्थी सख्या एक अधिकरण के समक्ष उपस्थित हुआ है। इसके पश्चात कभी उपस्थित नहीं हुआ। अपीलार्थी के बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने पर दिनांक 13.07.2017 को एक पक्षीय आदेश पारित किया गया है। रेस्पोडेन्ट द्वारा दुकान संख्या 13 माथुर वैश्य नगर, सीताबाडी, टौंक रोड, जयपुर का कब्जा दिलाने का भी अपने परिवाद में अनुतोष चाहा गया था, किन्तु आदेश दिनांक 13.07.2017 में रह जाने से और पूर्व आदेश में अपीलार्थीगण की एक पक्षीय कार्यवाही होने से अधीनस्थ अधिकरण से पुनः निवेदन करने कर अधिकरण द्वारा दुकान का कब्जा दिलाने का भी अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.09.2018 पारित किया गया है जो उचित है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

6. उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया एवं उस पर मनन किया गया । पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया ।

7. अपीलार्थी ने यह अपील प्रस्तुत कर अधीनस्थ अधिकरण द्वारा पारित एक पक्षीय आदेश 13.07.2017 व 05.09.2018 को अपास्त करने एवं मकान नम्बर 38 माथुर वैश्य नगर, सीता बाड़ी, टौंक रोड, जयपुर एवं दुकान नम्बर 13 माथुर वैश्य नगर सीताबाडी, टौक रोड, जयपुर से अपीलार्थीगण को बेदखल नहीं किये जाने का अनुतोष चाहा है। अपीलार्थीगण का कथन है कि उन्हें सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश एक दिन में ही पारित किया गया है। अधीनस्थ अधिकरण की पत्रावली का अवलोकन किये जाने पर पाया गया है कि अधिकरण द्वारा विधिवत तरीके से नोटिस तामील कराये गये है, तत्पश्चात अपीलार्थी संख्या एक राजेश दिनांक 10.10.2016 को अधीनकरण के समक्ष उपस्थित हुआ। पुष्टि में आदेशिका पर हस्ताक्षर मौजूद है। अपीलार्थीगण के उपस्थित नही होने पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.07.2017 को पारित किया गया है। रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने परिवाद में अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष मकान के साथ साथ दुकान से भी अपीलार्थीगण बेदखल कर कब्जा चाहने का परिवाद पेश किया गया । जिस पर दिनांक 13.07.2017 से अपीलार्थीगण के उपस्थित नहीं होने पर मकान से बेदखल किये जाने का एक पक्षीय आदेश पारित किये है । आदेश दिनांक 13.07.2017 में दुकान का कोई हवाला नहीं होने से रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त आदेश को संशोधित किये जाने हेतु दिनांक 07.12.2017 को अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसे स्वीकार किया जा कर संशोधित आदेश दिनांक 5.09.2018 से मकान व दुकान का कब्जा दिलाये जाने का आदेश दिया। अतः अपीलार्थीगण का यह कथन मान्य नही है कि अधीनस्थ अधिकरण द्वारा उन्हें सुनवाई की कोई सूचना नहीं दी गई और एक ही दिन में अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। रेस्पोडेन्ट श्रीमती गीता देवी शर्मा ने विवादित मकान नम्बर 38 एवं दुकान

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

नम्बर 13 माथुर वैश्य नगर, सीताबाडी टौंक रोड, जयपुर का जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर द्वारा अपने पक्ष में जारी किये गये पट्टों की फोटो प्रति पेश की है। जिससे विवादित मकान व दुकान रेस्पोडेन्ट गीता देवी के मालिकाना हक की होने की पुष्टि होती है। माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण नियम 2010 की धारा 20 (5) इस प्रकार है–" किसी वरिष्ठ नागरिक के जीवन या सम्पत्ति के किसी खतरे की दशा में जिला मजिस्ट्रेट या सम्यकरूप से प्राधिकृत उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी का ऐसे वरिष्ठ नागरिक के जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा करने का कर्तव्य होगा। " अधीनस्थ अधिकरण द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के तहत माता पिता या वरिष्ठ नागरिक की मांग पर पुत्र व पुत्रवधु को मकान से बेदखल करने का आदेश दिया जा सकता है। इस सम्बन्ध में समय–समय पर माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी माता–पिता व वरिष्ठ नागरिक के पक्ष में निर्णय पारित किये गये है। इसी सन्दर्भ में अधीनस्थ अधिकरण द्वारा प्रार्थिया रेस्पोडेन्ट की सम्पत्ति मकान 38 व दुकान नम्बर 13 माथुर वैश्यनगर, सीताबाड़ी टौंक रोड, जयपुर से अपीलार्थीगण द्वारा कब्जा रेस्पोडेन्ट श्रीमती गीता देवी को सम्भलाने के आदेश पारित किये गये है जिसमें हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते है। अधीनस्थ अधिकरण के अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.07.2017 व 05.09.2018 की पुष्टि की जाती है। फलस्वरूप अपील खारिज की जाती है।

8. आदेश की प्रति हस्ब कायदा धारा 16(7) के तहत उभय पक्षकारान को निः शुल्क भेजी जावे। आदेश की प्रति मय मिसल मातहत माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एवं कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय को पालनार्थ प्रेषित हो। निर्णय की प्रति पृथक–पृथक पत्रावली संख्या 24/2023 व 25/2023 पर रखी जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक **15.02.2024** को सरे इजलास सुनाया गया।

मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner